

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *316
उत्तर देने की तारीख : 24.03.2022

अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण हेतु योजनाएं

*316. श्रीमती राजश्री मल्लिक:

क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) केन्द्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है;
- (ख) ओडिशा राज्य में कितनी अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं; और
- (ग) उन पर व्यय की गई धनराशि का योजना - बार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण हेतु योजनाएं” के संबंध में श्रीमती राजश्री मल्लिक द्वारा पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *316 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): सरकार ने अल्पसंख्यकों विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों सहित समाज के हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM KISAN), प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY), प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, आदि जैसी विभिन्न योजनाओं को लागू किया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भी केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह (6) अल्पसंख्यक समुदायों नामतः ईसाई, सिख, बौद्ध, मुस्लिम, पारसी और जैन के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए ओडिशा राज्य सहित देश भर में कार्यक्रमों/योजनाओं को भी लागू करता है। मंत्रालय द्वारा लागू की गई योजनाएं/कार्यक्रम संक्षेप में इस प्रकार हैं:-

(क) शैक्षिक सशक्तीकरण योजनाएं:

(1) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना- कक्षा I से X तक के अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जिनमें से 30% छात्रवृत्ति लड़कियों के लिए निर्धारित है।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना- कक्षा XI से पीएच.डी तक के अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिनमें से 30% छात्रवृत्ति लड़कियों के लिए निर्धारित है।

मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना- स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिनमें से 30% छात्रवृत्ति लड़कियों के लिए निर्धारित है।

सभी तीनों छात्रवृत्ति योजनाओं का ब्यौरा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर दिया गया है और छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) मोड के माध्यम से किया जाता है।

(2) मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना - योजना के तहत ऐसे अल्पसंख्यक छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है जिन्होंने UGC-NET या संयुक्त CSIR UGCNET परीक्षा पास की हो।

(3) नया सवेरा - निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना - योजना का उद्देश्य तकनीकी/मेडिकल/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों/अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना है।

(4) पढ़ो परदेश - योजना के तहत विदेशों में उच्च शिक्षा हेतु अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सहायता प्रदान की जाती है।

(5) नई उड़ान - संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), राज्य लोक सेवा आयोगों (PSC) आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) रोजगारोन्मुख योजनाएं:

(6) सीखो और कमाओ: 14-35 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं के कौशल विकास की योजना तथा इसका उद्देश्य मौजूदा कामगारों, स्कूल ड्रॉपआउट्स आदि की रोजगारपरकता में सुधार करते हुए रोजगार एवं रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

(7) उस्ताद (विकास के लिए परम्परागत कलाओं/शिल्पों में कौशल का उन्नयन और प्रशिक्षण):- अल्पसंख्यक समुदायों से पारंपरिक कारीगरों तथा शिल्पकारों को स्वरोजगार, बाजार तथा अवसर प्रदान करने का एक प्रभावशाली मंच। कारीगरों/शिल्पकारों को रोजगार के अवसर व बाजार उपलब्ध कराने हेतु देशभर में हुनर हाटों का आयोजन किया जा रहा है।

(8) नई मंजिल: स्कूल ड्रॉपआउट्स या मदरसों जैसे सामुदायिक शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षितों को औपचारिक स्कूली शिक्षा और कौशल प्रदान करने हेतु योजना।

(9) नई रोशनी - अल्पसंख्यक समुदायों तथा गैर-अल्पसंख्यक समुदायों (प्रत्येक बैच के 25% से अधिक नहीं) की महिलाओं में नेतृत्व विकसित करना।

(ग) विशेष योजनाएं:

(10) जियो पारसी - भारत में पारसियों की आबादी में हो रही गिरावट को रोकने हेतु योजना।

(11) हमारी धरोहर - भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अधीन भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने की योजना।

(घ) अवसंरचना विकास योजना:

(12) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम - यह नीति आयोग द्वारा पहचानी गई योजना के रूप में एक अतिमहत्वपूर्ण केंद्रीय प्रायोजित योजना एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य अभिजात क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक परिसंपत्तियां और बुनियादी सुविधाएं विकसित करना है। यह योजना शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, खेल, स्वच्छता आदि क्षेत्रों में अवसंरचना सहायता प्रदान करती है।

(13) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (MAEF) निम्नलिखित अनुसार शिक्षा और कौशल संबंधी योजनाएं कार्यान्वित करता है: (क) अल्पसंख्यकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की मेधावी छात्राओं के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (ख) युवाओं को अल्प अवधि का रोजगार-उन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 2017-18 में शुरू की गई गरीब नवाज रोजगार योजना (ग) शैक्षिक संस्थानों के अवसंरचना विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता-अनुदान।

(14) स्व-रोजगार और आय सृजक उद्यमों के लिए अल्पसंख्यकों को रियायती ऋण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को इक्विटी।

(ग): 2018-19 से 2021-22 तक पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का योजना-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

दिनांक 24.03.2022 को उत्तर के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 316 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

| 2014-15 से 2021-22 तक खर्च की गई राशि का विवरण (23.03.2022 के अनुसार) | | |
|---|--|--|
| क्र.सं. | योजनाएं | जारी/उपयोग की गई राशि (करोड़ रुपये में) |
| शैक्षिक सशक्तीकरण योजनाएं | | |
| 1 | मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति | 15362.11 |
| 2 | मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | |
| 3 | मेरिट-सह-साधन | |
| 4 | मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति | |
| 5 | विदेशों में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सहायता। | |
| 6 | निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना | |
| 7 | प्रारम्भिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों हेतु सहायता | |
| रोजगारोन्मुख कौशल विकास योजनाएं | | |
| 8 | कौशल विकास पहल | 2213.64 |
| 9 | उस्ताद (हुनर हाट) | |
| 10 | नई मंजिल (8वीं से 10वीं तक कौशल) | |
| 11 | अल्पसंख्यक महिलाओं का नेतृत्व-क्षमता विकास | |
| अवसंरचना विकास योजना | | |
| 12 | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 9112.16 |
| अन्य योजनाएं | | |
| 13 | एनएमडीएफसी की इक्विटी | 2095.95 |
| 14 | छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को नियंत्रित करने की योजना | |
| 15 | हमारी धरोहर | |
| 16 | अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी, मूल्यांकन और प्रचार | |
| 17 | मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान | |
| 18 | एनएमडीएफसी की एससीए को सहायता-अनुदान | |
| 19 | कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना | |
| 20 | शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना | |